निर्णय मदनलाल श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 61/2015
दायरा दिनांक :- 22.6.15
निर्णय दिनांक :- 14.2.2017

<u>उन्वान</u>

मोहनलाल पुत्र भंवरया जाति नाथ निवासी गुकरेडी तहसील छीपाबड़ौद

<u>बनाम</u>

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र लाला
2. रामप्रताप पुत्र लाला
3. बलराम पुत्र लाला
4. रामचन्द्र पुत्र लाला
5. गोपालीबाई बेवा लाला जाति नाथ निवासीगण गुकरेडी तह० छीपाबड़ौद
6. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक :- 14.2.2017

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212R… विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि… आराजी ख.नं. 141 रकबा 12 बिस्वा मौजा गुकरेडी तह० छीपाबड़ौद मे स्थि… है जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्र. 1 ता 5 एवं कस्तूरी बेवा भंवरिया कौम नाथ… सा. देह के शामलाती खातेदारी मे दर्ज कागजात है तथा खातेदार कस्तू… का स्वर्गवास हो गया है जिसका वारिस व उत्तराधिकारी प्रार्थी है… प्रकार उक्त आराजी मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है जिस पर वादी का… काश्त चला आ रहा है। आराजी ख.नं. 11 रकबा 31.10 बीघा मौ… गुकरेडी तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्र. 1 ता… शामलाती खातेदारी मे दर्ज कागजात है जिसके मुताबिक कागजा… का 15/126 हिस्सा दर्ज कागजात एवं कब्जे काश्त मे चला आ रह… प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि है… उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है ले… अप्रार्थी क्र. 1 द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से उक्त वर्णित आराजीयात…

लगा…

उपखण्ड अधिकारी
…पाबड़ौद जिला बारां

किस्म परिवर्तन कराये निर्माण किये
खाता विभाजन हुए ही व बिना किस्म परिवर्तन कराये निर्माण किये
जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 को कोई कानूनी
अधिकार नहीं है प्रार्थी ने दिनांक 17.6.2015 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 5
से उक्त वर्णित आराजीयात का खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो
अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 इन्कार हो गये तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 ने प्रार्थी
को धमकी दी है कि वे प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल
करेंगे तथा अपना कब्जा जमायेंगे तथा प्रार्थी द्वारा बोयी हुई फसलों को
नुकसान पहुंचायेंगे। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 द्वारा प्रार्थी को उसके हिस्से की
आराजी से बेदखल कर दिया या विवादित आराजी पर जबरन खाता
विभाजन किये व बिना भूमि की किस्म परिवर्तन कराये निर्माण कर
लिया तो प्रार्थी को अपरिमित हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से
संभव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी को व्यर्थ में ही मुकदमेबाजी में उलझ
कर जन धन की अपरिमित हानि उठानी पड़ेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करने का कारण प्रथम बार दिनांक 17.6.2015 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विधि
विरुद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात पर निर्माण करने
का प्रयास करने पर तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 से खाता विभाजन
की कहने पर तथा उनके द्वारा मना करने पर प्रार्थी को उसके हिस्से की
आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी गण को
जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की ओर से जवाब पेश
हुआ। जवाब की विशेष आपत्ति में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित
विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी के
मंदरया पुत्र रामलाल जाति नाथ निवासी गुडकडी तह. छीपाबड़ौद
दिनांक 11.8.1970 को 75 रुपये में अपने 1/2 हिस्से की आराजी अप्रार्थी
क्रम 1 ता 5 के पिता व दादा लाला पुत्र नाथूलाल जाति नाथ निवासी
...ली को बेचान कर दिया था तथा बेचान की उक्त राशि प्राप्त
अपने 1/2 हिस्से पर खातेदार मंदरया ने खरीददार लाला को
कब्जा संभला कर उक्त बेचान की लिखापढ़ी 5/- रुपये
पर कराकर अपने अंगूठा करके तथा गवाहन के अंगूठा कराये
उक्त अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता व दादा को दिया था तभी से उक्त
सम्पूर्ण आराजी लाला पुत्र नाथूलाल के कब्जे में लगातार
वर्षों से चली आ रही थी उसके स्वर्गवास के बाद से
अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

खाता सं. 71 में प्रार्थी का 15/126 एवं अप्रार्थी क्र. 1 का 48/126 तथा अप्रार्थी क्र. 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना पाया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा दिनांक 11-8-1970 के अनुसार गवरन्या बेवा रोडु जाति नाथ गांव गुआरडी तह० छीपाबड़ौद द्वारा ख.नं. 141 रकबा 12 बिस्वा में आधा हिस्सा था जिसे 75 रुपये में लाला वल्द नाथु को बेचान किया जाना अंकित है। इससे यह साबित होता है कि प्रस्तुत रिकार्ड से प्रार्थी का ख.नं. 141 रकबा 12 बिस्वा में 1/2 तथा ख.नं. 11 रकबा 31.10 बीघा में प्रार्थी का 15/126 हिस्सा दर्ज होना पाया है। तथा बेचाननामा 5/- के स्टाम्प से यह साबित होता है कि प्रार्थी के पिता गवरन्या द्वारा ख.नं. 141 रकबा 12 बिस्वा में से अपना हिस्सा लाला पुत्र नाथु जाति नाथ को बेचान कर दिया। परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण के मध्य आपसी बंटवारा होने की स्थिति में प्रार्थी के हितों की रक्षा हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण 1 ता 5 को तां फैसला वाद पाबन्द किया जाना न्यायोचित है इस हेतु दोनों अभिभाषक गण द्वारा सहमति दी है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुआरडी तह० छीपाबड़ौद के ख.नं. 141 रकबा 12 बिस्वा में प्रार्थी के हिस्सा 1/2 एवं ख.नं. 11 रकबा 31.10 बीघा में प्रार्थी के हिस्सा 15/126 पर तांफैसला वाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय तहरीर इजलास किया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छी[illegible]

Scanned by CamScanner